न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयूष समारिया
आई0ए0एस0
राजस्व अपील सं0 93/2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. बलबीर कौर पत्नि सुग्रीव जाति गुर्जर निवासी बिराना तहसील महवा जिला दौसा।
.. अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महवा ...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उप तहसीलदार महवा दिनांक 22.12.2017 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम बलबीर मु0नं0 304/2017 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री मिट्ठनलाल गुर्जर, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नवल किशोर शर्मा, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः 28.01.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार महवा ने दिनाक 22.12.2017 को ग्राम जगरामपुरा तहसील महवा के राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 92 रकबा 2.63है0 में से रकबा 0.40 है0 एवं खसरा नंबर 97 रकबा 1.38है0 में से रकबा 0.40 है0 कुल किता 2 रकबा 0.80 है0 पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की इकतरफा झूठी रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को बिना सुनवाई एवं बिना मौके की जॉच किये पटवारी हल्का की रिपोर्ट को ही सही मानकर निर्णय पारित किया है। कानूनन अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर आदेश पारित करना चाहिए था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि प्रकिया की पालना नहीं करते हुए पीछे से इकतरफा पक्षपातपूर्ण आदेश पारित कर दिया गया, जो नियमों के प्रतिकूल होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत है। अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का नोटिस भी नहीं दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

पैरोकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आती है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच भू अभिलेख निरीक्षक से करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूँठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। बावजूद सूचना अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नही है कि उनको सुनवाई का अवसर नही दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में खसरा नंबर 92 रकबा 2.63है0 में से रकबा 0.40 है0 एवं खसरा नंबर 97 रकबा 1.38है0 में से रकबा 0.40 है0 कुल किता 2 रकबा 0.80 है0 किस्म चरागाह पर सरसों की काश्त एंव कब्जा जोत कर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महवा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2017 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 28.01.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा